

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़अमृतलाल

बनाम

सरकार**कार्यवाही अन्तर्गत :-****धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा

विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)

नं०

057

सन्

2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी अमृतलाल पिता भाणीया मीना निवासी नयाघर केसरियावाद पुलिस थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ की ओर से पुलिस थाना बडीसादडी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 076/2023 दिनांक 12.03.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1955 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 30 GA 6761 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/2252 दिनांक 28.06.2023 से अनुसंधान पत्रावली प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन मालिक को सिपुर्द किये जाने में किसी भी प्रकार आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिमत का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 30 GA 6761 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 30 GA 6761 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रुपये 06,00,000/- अक्षरे छः लाख रुपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">-S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 05.07.2023</p>	